न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2010/00010 (2010/131) **दायरा दिनांक : 28.06.2010**

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू .... अपीलांट

बनाम

1. प्रधुमन अत्मज श्री कंवरलाल जी मृतक जरिये कायम मुकामान–
   1/1. उमा बेवा
   1/2. यशवंत
   1/3. नेहा
   पिसरान प्रधुमन नाबालिग जर्ये वली माता उमा देवा बेवा पत्नी प्रधुमन, जाति कोली, निवासी ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां
2. जगदीश आत्मज श्री कंवरलाल, जाति कोली, निवासी ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां
3. भूली बाई बेवा कंवरलाल, जाति कोली, निवासी ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां ... क्रेतागण
4. कालू आत्मज श्री देव्या जी
5. शांति बाई पुत्री श्रे देव्या जी
6. कमला बाई पुत्री श्री देव्या जी मृतक जर्ये कायम मुकामान –
   6/1. रमेश आत्मज श्री भंवरलाल, सहर, निवासीगण ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां
7. सोमती बाई पुत्री श्री देव्या जी, जाति सहर, निवासी ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां .....विक्रेतागण

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – पैरोकार सरकार अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 4, 5, 7 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 20.02.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उप–जिलाधीश, छबडा के प्रकरण संख्या – 132/76 निर्णय दिनांक 31–08–1976 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वादीगण के पिता कंवरलाल पुत्र सीताराम जाति कोली (ठोर) ने प्रतिवादीगण के पिता देव्या पुत्र गोरधन से दिनांक 8.9.1971 को ग्राम कवाई के माल की कृषि भूमि क्रय की थी। जिसके पुराने खसरा नं. 527 रकबा 8

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बीघा 5 बिस्वा थे। जिसके नये खसरा नं. 430 रकबा 1.09 हेक्टर एवं 1182 रकबा 0.16 हेक्टर कुल 2 किता की 1.25 हेक्टर भूमि ग्राम कवाई की जमाबंदी सम्वत 2055 से 2058 में प्रतिवादीगण 1 ता 5 के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उप–जिलाधीश, छबडा ने अपने निर्णय दिनांक 31–08–1976 से तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत वाद मय खर्चा खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि आदेश जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा ग्राम कवाई की भूमि खसरा नं. 527 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा का बेचान जो दिनांक 08–07–1971 को कंवरलाल पुत्र सीताराम कोली, निवासी कवाई को देव्या द्वारा किया गया है को निरस्त करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया और कथन किया कि कंवरलाल जाति से कोली है तथा अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा देव्या सहर जो कि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है अतः उक्त बेचान अवैध एवं प्रभावशून्य होने से उसे निरस्त करते हुये उक्त आराजी को अधिग्रहण करने का तथा सिवाय चक दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे उक्त कार्यवाही को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी प्रावधानों को समझे बिना ही उक्त कार्यवाही को मेन्टेनेबल नहीं होना मानकर केवल चार लाइन में ही उक्त प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है जो कि हर प्रकार के काबित निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रकरण प्रार्थना पत्र को मुताबिक वाद तनकीयात कायम करते हुऐ हर पहलु पर विचार करते हुये पक्षकारान की शहादत लेकर बाद विवेचन शहादत एवं दस्तावेज उक्त प्रकरण का निस्तारण करना चाहिये या ऐसा न करके अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। विवादित आराजी के पुराने ख0 नं० 527 रकबा 8.05 बीघा था तथा हाल खसरा नं० 430 रकबा 1.09 हेक्टर और खसरा न० 1182 रकबा 0.16 हेक्टर है। उक्त आराजी के संबंध मे रेस्पोडेंट क्रेता व विक्रेता के वारिसान द्वारा वाद पेश किया गया जिसके निस्तारण के बाद कंवरलाल के वारिसान द्वारा माननीय न्यायालय में अपील पेश की गई जिसको आंशिक स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 30–04–2009 को निरस्त करते हुये दावा वादी एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज किया गया है तथा उक्त प्रकरण में कहा गया कि राज्य सरकार उचित समझे तो सक्षम न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 31–8–1976 के विरूद्ध अपील/रिवीजन कर सकती है। इस प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा उक्त बेचान को वैध नहीं माना गया है। उक्त निर्णय के बाद श्रीमान जिला कलेक्टर कोटा द्वारा तहसीलदार, अटरू को निर्देशित किया गया है कि न्यायालय उप जिला कलेक्टर, छबडा के आदेश दिनांक 31–08–1976 के विरूद्ध अपील पेश करे। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय जैर अपील निरस्त किया जाये तथा प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर अपील में वर्णित बेचान को प्रभावशून्य घोषित किया जाकर उक्त भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण कर सिवाय चक दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जाये।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.06.2010 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है :–

अपीलार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया है कि ग्राम कवाई की आराजी खसरा नं0 527 रकबा 8.05 बीघा हाल खसरा नं0 430 रकबा 1.09 हेक्टर व खसरा नं0 1182 रकबा 0.16 हेक्टी का बेचान जरिये रजिस्ट्री विक्रय पत्र दिनांक 08–07–1971 को विक्रेता देव्या पुत्र गोरधन जाति सहर निवासी कवाई तहसील अटरू द्वारा क्रेता कंवरलाल पुत्र सीताराम कौम कोली निवासी कवाई तहसील अटरू को किया गया है। उक्त बेचान देव्या पुत्र गोरधन जाति सहर जो अनुसूचित जनजाति (ST) की श्रेणी मे आता है। इसके द्वारा कंवरलाल पुत्र सीताराम कौम कोली जो अनुसूचित जाति (SC) की श्रेणी में आता है। इसलिए उक्त बेचान धारा 42 (ख) का उल्लंघन होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य घोषित करते हुए उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज करने का आदेश हेतु वाद प्रस्तुत किया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 31–08–1978 को यह निर्णय किया गया है कि वाद मेंटेनेबल नही मानते हुए तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत वाद मय खर्चा खारिज किया गया।

यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31–08–1978 अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्व पेश कि गई है।

1– पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2028–2031 में खसरा नं0 527 रकबा 8.05 बीघा भूमि खातेदार देव्या पुत्र गोरधन जाति सहर वाके ग्राम कवाई के दर्ज रिकार्ड है।

2– उक्त आराजी दिनांक 08–09–1971 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से देव्या पुत्र गोरधन जाति सहर द्वारा कंवरलाल पुत्र सीताराम कौम कोली निवासी कवाई को बेचान कर दिया है।

3– अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की राजस्थान सूची क– अनुसुचित जातियां के अनुसार क्रम संख्या 37 पर दर्ज जाति कोली, कोरी जाति अनुसूचित जाति (SC) की श्रेणी में आती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की राजस्थान सूची ख– अनुसुचित जनजातियां के अनुसार क्रम संख्या 12 पर दर्ज जाति सेहरिया, सहरिया जाति अनुसूचित जनजाति (ST) की श्रेणी में आती है।

4– तहसीलदार अटरू द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र क्रमांक न्याय/499 दिनांक 24–03–2009 के आधार पर रेस्पोडेंट क्रम सं0 4 पर दर्ज कालूलाल पुत्र देवीलाल जाति सहरिया ग्राम कवाई का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है। जो पत्रावली के साथ संलग्न है।

5– माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 07–01–2010 से भी न्यायालय द्वारा क्रेता कंवरलाल पुत्र सीताराम कौम कोली निवासी कवाई तहसील अटरू की जाति अनुसूचित जाति एवं विक्रेता देव्या पुत्र गोरधन जाति सहर निवासी कवाई तहसील अटरू की जाति अनुसूचित जनजाति होने की पुष्टि की गई है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अतः उक्तानुसार 42 (ख) आर.टी.ए. 1955 का उल्लंघन होने से उक्त बेचान अवैध एवं प्रभाव शून्य है।

धारा 42 विक्रय, दान, वसीयत पर साधारण निर्बन्धन किसी खातेदार अभिधारी द्वारा अपनी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग में से अपने हिस्से का विक्रय, दान, वसीयत, शून्य होगी। यदि 42 (ख) ऐसा विक्रय दान या वसीयत अनुसूचित जाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जो अनुसूचित जाति का सदस्य ना हो या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य ना हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम कवाई की आराजी खसरा नं0 527 रकबा 8.05 बीघा हाल खसरा नं0 430 रकबा 1.09 व खसरा नं0 1182 रकबा 0.16 हे0 का बेचान जरिये रजिस्ट्री विक्रय पत्र दिनांक 08–07–1971 को विक्रेता देव्या पुत्र गोरधन जाति सहर निवासी कवाई तहसील अटरू द्वारा क्रेता कंवरलाल पुत्र सीताराम कौम कोली निवासी कवाई तहसील अटरू को किया गया है। उक्त बेचान देव्या पुत्र गोरधन जाति सहर जो अनुसूचित जनजाति (ST) की श्रेणी मे आता है। इसके द्वारा कंवरलाल पुत्र सीताराम कौम कोली जो अनुसूचित जाति (SC) की श्रेणी में आता है। इसलिए उक्त बेचान धारा 42 (ख) का उल्लंघन होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। अतः अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का त्रुटि निर्णय पूर्ण होने से खारिज फरमाया जावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि सरकार ने दिनांक 31–08–1976 के आदेश की अपील दिनांक 28–06–2010 को पेश की है जो गम्भीर रूप से मियाद बाहर है, जबकि अपीलांट को देरी के एक एक दिन का पूर्णरूप से हवाला देना चाहिए। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–01–2010 के अनुसार अपील कर सकती थी। सरकार वाद में पक्षकार थी। अतः अपील धारा 5 मियाद अधिनियम पर खारिज योग्य है।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू ने धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कवाई की आराजी खसरा नम्बर 527 रकबा 8.05 बीघा हाल खसरा नम्बर 430 रकबा 1.09 हेक्टर व खसरा नम्बर 1182 रकबा 0.16 हेक्टर का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.07.1971 को विक्रेता देव्या पुत्र गोरधन, जाति सहर, निवासी कवाई, तहसील अटरू द्वारा क्रेता कंवरलाल पुत्र सीताराम कौम कोली, निवासी कवाई, तहसील अटरू को किया है। उक्त बेचान देव्या पुत्र गोरधन, जाति सहर जो अनुसूचित जनजाति (ST) की

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

श्रेणी में आता है। इसके द्वारा कंवरलाल पुत्र सीताराम कौम कोली जो अनुसूचित जाति (SC) के व्यक्ति को किया है। इसलिए उक्त बेचान धारा 42 (ख) का उल्लंघन होने से अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित करते हुए उक्त आराजी को सिवाय चक दर्ज किया जाये।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.08.1978 से वाद वादी मेंटेनेबल नहीं होना मानते हुए खारिज कर दिया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को समझे बिना ही उक्त कार्यवाही को मेंटेनेबल नहीं होना मानकर केवल चार लाइन के निर्णय से उक्त प्रकरण का निस्तारण कर दिया जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय को मुताबिक वाद तनकीयात कायम करते हुए हर पहलू पर विचार करते हुए पक्षकारान की शहादत लेकर बाद विवेचन शहादत एवं दस्तावेज के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करना चाहिए था ऐसा न करके अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय जैर अपील निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील में वर्णित बेचान को प्रभावशून्य घोषित किया जाकर उक्त भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण कर सिवायचक दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी सम्वत 2028–2031 के अनुसार खसरा नम्बर 527 रकबा 8.05 बीघा भूमि खातेदार देव्या पुत्र गोरधन, जाति सहर, वाके ग्राम कवाई के खाते दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी दिनांक 08.09.1971 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से देव्या पुत्र गोरधन, जाति सहर द्वारा कंवरलाल पुत्र सीताराम, कौम कोली, निवासी कवाई को बेचान कर दी। उक्त बेचान पत्र की छाया प्रति एक्जीविट 2ए अधीनस्थ न्यायालय की प्रकरण संख्या 24/2004 उमादेवी पत्नी प्रद्युमन कोली बनाम कालू पुत्र देव्या सहरिया की पत्रावली में सलंग्न है। इस पत्रावली में तहसीलदार अटरू द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक/न्याय/499 दिनांक 24.04.2009 के अनुसार कालूलाल पुत्र देवीलाल जाति सहरिया, ग्राम कवाई की जाति सहरिया होना स्पष्ट है, जो अनुसूचित जनजाति (ST) संवर्ग में आते हैं। इसी प्रकारण अधीनस्थ न्यायालय में क्रेता कंवरलाल के वारिसान अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.04.2009 को पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2009 के विरूद्ध वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 236/2009 में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.01.2010 से न्यायालय द्वारा तनकीवार विस्तृत निर्णय पारित करते हुए यह माना है कि वादग्रस्त आराजी का विक्रय धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उल्लंघन में होने के कारण अवैध है। इस विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांटगण को वादग्रस्त आराजी बाबत कोई हक हकूकान प्राप्त नहीं होते हैं। अतः वे इस आराजी के खातेदार घोषित होने के अधिकारी नहीं है। अपने निर्णय दिनांक 07.01.2010 से इस न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2009 को अपास्त करते हुए दावा वादी व प्रतिदावा (काउंटर क्लेम) प्रतिवादी दोनों खारिज किये हैं। इस न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि राज्य सरकार यदि उचित समझे तो सक्षम न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, के निर्णय दिनांक 31.08.1976

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

के विरूद्ध अपील/रिवीजन दायर कर सकती है। निर्णय की एक प्रति जिला कलेक्टर बारां को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। इस निर्णय की पालना में जिला कलेक्टर, बारां के निर्देश पर तहसीलदार अटरू ने यह अपील प्रस्तुत की है। पैरोकार सरकार ने अपनी लिखित बहस में उक्त बेचान को धारा 42(ख) को उल्लंघन होने से अवैध एवं प्रभावशून्य माना है। साथ ही यह अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज फरमाया जाए।

धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई अन्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उपबंधों के विरूद्ध किया जाता है, तो अन्तरक और अंतरिती दोनों बेदखली के लिए दायी होगें। इस धारा का उद्देश्य यह है कि जहॉ भूमि धारा 42 के उपबंधों का उल्लंघन कर अंतरित कर दी गई हो, तो न तो अंतरक (विक्रेता) को और न ही अंतरिती (क्रेता) को उस भूमि को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, परन्तु वह भूमि वापस राज्य सरकार को चली जायेगी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में विक्रय को Void (शून्य) तो माना है परन्तु वादग्रस्त आराजी के टाईटल के क्रम में अपने निर्णय में स्थिति स्पष्ट नहीं की है इसके विपरीत प्रार्थना पत्र को धारा 175 के तहत मेंटेनेबल नहीं मानकर खारिज कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय अस्पष्ट एवं धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अतः हम अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.08.1978 को अस्पष्ट, अपूर्ण एवं धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त करना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप–जिलाधीश, छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–08–1976 अपास्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर एवं इसी विवादग्रस्त आराजी के सन्दर्भ में न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 236/2009 में पारित निर्णय दिनांक 07.01.2010 का अवलोकन करने के पश्चात पुनः धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप विस्तृत विवेचन करते हुए स्पष्ट निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.04.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/02/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा